

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.12.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	किरण देवी पति-बिहारी कुमार ग्राम-सहवाजपुर पो०-बराह, थाना-पीपरा जिला-पटना सीआरनं०-173587 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	चन्दा देवी पति-कृष्णा राय ग्राम+पो०-कुदरबाधा थाना-गड़खा जिला-सारण सीआरनं०-179804 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	युगेश्वर सिंह पिता-स्व. सैनी कुमार ग्राम-पो०-पनशलवा थाना-बेलदौर जिला-खगड़िया सीआरनं०-166274 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	ललीता देवी पति-कमलेश यादव ग्राम+पो०-जौकटीया थाना-मझौलीया जिला-प० चम्पारण सीआरनं०-173942 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।



5	मनोहर देवी पति-भुदेव जी पाण्डेय ग्राम+पो0-बारा थाना-कुर्था जिला-अरवल सीआरनं0-177904 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
6	रामावती देवी पति-राम एकबाल राय ग्राम-पो0-सीरहा थाना-पकडी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-160839 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
7	उषा देवी पति-उमा शंकर साह ग्राम-कसमर पो0-रहीमपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण सीआरनं0-173203 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
8	नगीना सिंह पिता-स्व. राजदेव सिंह ग्राम+पो0-हरनहीया थाना-सहीयारा जिला-सीतामढी सीआरनं0-178060 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
9	चन्द्र भुषण प्रसाद यादव (जे0 पी0 पेंशनधारी) पिता-महावीर प्रसाद ग्राम-फकराबाद पो0-सोनपुर जिला-सारण, छपरा पंजी /ओ.पीडी / 015162 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत ।
10	शैलेन्द्र राय पिता-नरेश राय ग्राम-गंजमसुरीया पो0-भाथा थाना-मकेर जिला-सारण पंजी /ओ.पीडी / 044726 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
11	चन्द्रिका यादव पिता-स्व. सुको यादव ग्राम-शाहपुर पो0-पार्वती थाना-कासीचक जिला-नवादा सीआरनं0-185049 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।

20/11/21
26/11/21

12	सरयुग प्रसाद पिता- भज्जु प्रसाद ग्राम-मिल्कीपर पो0-शंकरडीह थाना-परवलपुर जिला-नालंदा सीआरनं0-169225 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	जगदीश पोद्दार पिता-स्व0 भोला पोद्दार ग्राम-मयुरवा पो0-कुसहा थाना-त्रीवेणीगंज जिला-सुपौल सीआरनं0-162185 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	दुधेश्वर मेहता पिता-स्व. हरिहर मेहता ग्राम+पो0+थाना-रिसियप जिला-औरंगाबाद पंजी / ओ0पीडी / 110797 / 13	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
15	आराध्या गुप्ता पिता-राकेश रंजन ग्राम-पो0+थाना-रहुई जिला-नालंदा सीआरनं0-143550 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	बनारसी देवी पति-जगदीश राय ग्राम-बनबीरा पो0-पी0 हलई थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-182137 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	रीता देवी पति-शंभु महतो ग्राम-बैठनीया, पो0-मठीयावृत थाना-मझौलीय जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-150142 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	प्रेम सागर प्रसाद पिता-स्व0 फगुनी प्रसाद ग्राम-पो0-हरशेर थाना-सीवाईपट्टी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-156312 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
19	प्रेम कुमार पिता-स्व. राम कैलाश यादव ग्राम-अन्धरा चौकी पो0-गोरखरी थाना-विक्रम, जिला-पटना सीआरनं0-111716 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

21/11/13
9/1/19/14

20	बबीता कुमारी पति-अरविन्द कुमार सुमन ग्राम-चौपाईर पो0-झलौन, थाना-लदनीया जिला-मधुबनी सीआरनं0-170022 / 16	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
21	खुबसुरती देवी पति-ठीठर यादव ग्राम-लक्ष्मीपुर पो0-बकमंडल थाना-बहेड़ी, जिला-दरभंगा सीआरनं0-116561 / 16	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 20,000 /-(बीस हजार) स्वीकृत।
22	यदुनन्दन सिंह पिता-स्व. हरि नन्दन सिंह ग्राम-नौशहराचक पोस्ट-थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरनं0-180765 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,50,000 /-(तेरह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 8.36.248 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजो से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~836245~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1765(14)

पटना, दिनांक - 26-12-16

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री नीरज कुमार, मा० स०वि०स०/ श्री कपिलदेव कामत मा० मंत्री पं० राज विभाग/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

श्री. सिन्हा

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.12.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उमेश प्रसाद पिता-स्व. राम एकवाल प्रसाद ग्राम-केदारनाथ रोड पो०-प्रधान डाकघर थाना-नगर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मो० अनवर हुसैन पिता-मो० अबदुल सतार ग्राम-गंगाबारा पो०+थाना-मेसकौर जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
3	नग नारायण सिंह पिता-धुप नाथ सिंह ग्राम-पो०-बखरी थाना-सीसवन जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	योगेन्द्र महतो पिता-स्व० नरसिंह महतो ग्राम-महदेवा पो०-नोनयडीह थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,20,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000 /-(चार लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836246 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

20/11/17
26/11/17

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...876296...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक = 1763 (14)

पटना, दिनांक - 26-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
डा. हिन्द